प्रारूप–'क'

न्यायालयः– सुश्री संचिता चौधरी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, पुपरी, सीतामढ़ी

उपस्थित– सुश्री संचिता चौधरी
निर्णय की तिथि–15.04.2025
टी.आर. संख्या–4933/2023
सी.आई.एस./रजिस्ट्रेशन नंबर–1136/2014
नानपुर थाना काण्ड संख्या– 166/2012
वाद शिर्षकः– बिहार राज्य (द्वारा संजय कुमार शर्मा) बनाम रामएकबाल राय एवं अन्य

राज्य/सूचक	संजय कुमार शर्मा
राज्य/सूचक के विद्वान अधिवक्ता	सहायक अभियोजन पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश मिश्रा
अभियुक्त	1. राम एकवाल राय, पिता–स्व0 अच्छेलाल राय, उम्र–00 वर्ष 2. लक्ष्मण राय पिता– स्व0 अच्छेलाल राय, उम्र– वर्ष साकिन– गौड़ा टोले चौपार, थाना– नानपुर, जिला– सीतामढ़ी।
बचाव पक्ष के विद्वान, अधिवक्ता	श्री शम्भू झा

15.04.2026
J.M. 1st Class,
Pupri, Sitamarhi

प्रारूप 'ख'

घटना की तिथि	17.03.2012
प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि	17.03.2012
संज्ञान की तिथि	13.07.2015
आरोप गठन की तिथि	12.04.2016
आरोप अंतर्गत धारा	188, 186, 353, 332/34 भा0द0वि0
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	12.05.2016
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	XXX
निर्णय तिथि	15.04.2026
दण्ड सुनाने की तिथि, यदि हो	XXX

न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पुपरी सीतामढ़ी

प्रारूप 'ग'

अभियोजन/ परिवादी/प्रतिरक्षा पक्ष/ न्यायालय के साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्ष्य

कमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विषेषज्ञ, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
01.	राम सागर राय	अन्य साक्षी

ख.बचाव साक्ष्य

कमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विषेषज्ञ, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
1.	XXX	XXX

ग.न्यायालय साक्ष्य

कमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विषेषज्ञ, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
1.	XXX	XXX

15.04.2026
J.M. 1st Class
Pupri, Sitamarhi

ब. प्रदर्शों की सूची, अभियोजन/परिवादी/बचाव/न्यायालय/वस्तु प्रदर्श

क. अभियोजन पक्ष का प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
XXX	xxx	XXX

ख.बचाव/प्रतिरक्षा पक्ष प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
XXX	xxx	XXX

ग.न्यायालय प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	XXX	XXX

न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रधान
पुपरी सीतामढ़ी

घ.वस्तु प्रदर्श

क्रमांक	वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	XXX	XXX

निर्णय

1. उपरोक्त वर्णित अभियुक्त 1. राम एकवाल राय, 2. लक्ष्मण राय के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–188, 186, 353, 332/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत अभियोजित करके उसका विचारण किया गया।

2. घटना का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि इस घटना की सूचना संजक कुमार वर्मा एवं अंचलाधिकारी नानपुर के लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज करवाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अंचलाधिकरी नानपुर ग्राम– गौड़ा टोला चौपार, अंचल– नानपुर, जिला– सीतामढ़ी के अन्तर्गत दखल दहानी दिलाने हेतु स्थल पर गए। प्रतिवादीगण ने विवादित स्थल पर नवाह (हरिकीर्तन) शुरू कर भीड़ एकत्र कर धार्मिक भावना से लोगों को जोड़कर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा उत्पन्न किया। जिससे दखल दहानी कार्य प्रभावित हुआ। इसी घटना के संबंध में नानपुर थाना काण्ड संख्या 50/2012 दर्ज करवाया गया।

15.04.2026
J.M. 1st Class,
Pupri, Sitamarhi

3. इस न्यायालय के द्वारा अभियुक्त 1. रामएकबाल राय 2. राम लक्ष्मण राय के विरूद्ध धारा–188, 186, 353, 332/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दिनांक 13.07.2015 को अपराध का संज्ञान लिया गया। संज्ञानोंपरांत अभियुक्त की उपस्थिति पूर्ण होने के पश्चात् वाद साक्ष्य हेतु नियत रहा।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 240 के अंतर्गत अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 12.04.2016 को भा0द0वि0 की धारा– 188, 186, 353, 332/34 के अंतर्गत आरोप का सारांश खुलें न्यायालय में हिन्दी में पढ़कर सुनाया और समझाया गया। अभियुक्त ने दोषी होने से इनकार किया और विचारण की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को सिद्ध करने के लिए कुल एक साक्षी का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया।

6. दिनांक 10.02.2026 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त की परीक्षा किया गया है। अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया।

7. प्रतिरक्षा पक्ष के द्वारा कोई भी मौखिक साक्ष्य अथवा दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है।

8. अब इस न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं ?

न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम वर्ग
पुपरी सीतामढ़ी

मंतव्य

9. अभियोजन की ओर से अपने वाद के समर्थन में एक साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित किया गया।

10. अभियोजन **साक्षी संख्या 01 राम सागर राय** ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि दिनांक 17.03.2012 को वह सी0ओ0 साहब के जीप चालक के पद पर कार्यरत थे और सी0ओ0 साहब को लेकर नानपुर में चौपात टोला दखल दहानी करवाने के लिए लेकर गए थे। जहां पर दखल दहानी करवाना था वहां पर अभियुक्त राम लक्ष्मण राय और राम एकबाल राय रामधुनी यज्ञ शुरू कर दिया था, जिस कारण से सी0ओ0 साहब दखल दहानी नहीं करा पाये।

अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह अंचल से 10 बजे सी0ओ0 साहब, थाना प्रभारी और अन्य 6 सिपाही के साथ निकले और घटना स्थल पर लगभग 12 बजे पहूंचे। जब वहां पर पहूंचे तो बहुत सारे लोग वहां पर थे, सभी को यह नहीं पहचानते हैं।

11. अभियोजन का तर्क है कि साक्षी ने अपने साक्ष्य में घटना का समर्थन किया है। अतः अभियोजन पक्ष ने उक्त आरोपों के तहत मामला सफलता पूर्वक स्थापित कर दिया है और अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

15.04.2026
J.M. 1st Class
Pupri, Sitamarhi

12. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस वाद में एक साक्षी का साक्ष्य कराया गया है, अन्य किसी साक्षी का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पूर्ण नहीं करवाया गया है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपति अपराधों का मामला साबित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि अभियोजन पक्ष इस मामले में कोई भी ठोस साक्ष्य साबित करने तथा स्थापित करने में विफल रहे हैं, अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

13. उक्त वाद में केवल एक साक्षी राम सागर राय का परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण न्यायालय के समक्ष पूर्ण करवाया गया है जो कि अंचलाधिकरी नानपुर के जीप चालक हैं। इनके अलावा न तो सूचक ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी गवाही दी है न हीं अंचलाधिकारी ने अपनी गवाही दी है। किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी ने भी न्यायालय में उपस्थित होकर घटना का समर्थन नहीं किया है।

14. उपरोक्त विवेचना, मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियोजन की ओर से एक साक्षी का साक्ष्य करवाया गया है जो कि अंचलाधिकारी नानपुर के जीप चालक हैं और उन्होनें अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह घटना स्थल पर उपस्थित लोग को नहीं पहचानते हैं। इस वाद के सूचक तथा अंचलाधिकारी नानपुर ने इस वाद के समर्थन में न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी गवाही नहीं दी है जिससे कि नामित अभियुक्त का दोष सिद्ध हो सके। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी एकमात्र साक्षी की गवाही पूर्णतः विश्वसनीय पाई जाती है तो उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***वदिवलू थेवर बनाम मद्रास राज्य*** (AIR 1957 SC 614) में यह प्रतिपादित किया है कि जहां एकल साक्षी का साक्ष्य उत्कृष्ट या निष्कलंक गुणवत्ता का नहीं हो अथवा उसमें अंतर्निहित कमजोरियां हों वहां न्यायालय को ऐसे साक्ष्य पर निर्भर होने से पूर्व पुष्टिकरण की तलाश करनी चाहिए।

न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम वर्ग पुपरी सीतामढ़ी

वर्तमान प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षियों के परीक्षण के आभाव में अभियोजन साक्षी संख्या 01 की गवाही ऐसी विश्वसनीयता उत्पन्न नहीं करती है कि उसे दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बनाया जा सके। ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाए गए आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने के लिए साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। जबकि साक्ष्य विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रतिरक्षा पक्ष को अपना मामला सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करना आवश्यक है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितयों को देखते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

15. अतएव प्रस्तुत प्रकरण के उपरोक्त नामित अभियुक्तगण 1. रामएकबाल राय, 2. लक्ष्मण राय को उनके विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा– 188, 186, 353, 332/34 के आरोप से साक्ष्य के आभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं, अतः उनका जमानत बंधपत्र निरस्त करते हुए उन्हें व उनके प्रतिभूगणों को बंधपत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

16. उक्त निर्णय द्वारा अभिलेख का निस्तारण किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें तथा इस आदेश का एक प्रति सी0आई0एस पर अपलोड करें।

न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम पुपरी सीतामढ़ी

लेखापित एवं शुद्धिकृत,
Sanchita Chaudhary
15.04.2026
सुश्री संचिता चौधरी
न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी
पुपरी, सीतामढ़ी।
15.04.2026.

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में कुल पांच पृष्ठों में टंकित, शुद्धिकृत, हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित एवं उदघोषित किया गया।

न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम पुपरी सीतामढ़ी

Sanchita Chaudhary
15.04.2026
सुश्री संचिता चौधरी
न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी
पुपरी, सीतामढ़ी।
15.04.2026.